

पंजीकृत डाक द्वारा

**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग  
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/ III - 262/.....524

दिनांक: 26-03-2012

सेवा में,

**मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड****सैक्टर : 128****नोएडा**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2010 का संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं0 बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 (Kensington Boulevard & Kensington Park) सैक्टर - 131 व 133, नोएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टारुनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढ़ाव(प्रोजक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** की अवधि तक वैध रहेगा बशर्त संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते है ।

**कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-**

SI. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
<b>TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE</b>		<b>1029.55</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129</b>		<b>43.29</b>	
<b>TOTAL LAND AREA</b>		<b>1072.84</b>	

**कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-**

SI. No.	LAND USE DESTRICTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
<b>Total</b>		<b>65.08 Acres or 26.35 Hectares</b>	<b>100%</b>

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि  $1072.84 + 65.08 = 1137.92$  एकड.  
(46,05,100.00 वर्ग मी0)


- कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100 वर्ग मी0) पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना ( सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134) आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्गमी0 (603.27 एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% (वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरूप) = 48,82,694.146 वर्ग मी0



• पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 95.20 मीटर

कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 (वर्ग मी०)
भूतल	29047.49
प्रथम तल	26963.40
द्वितीय तल	23857.89
तृतीय तल	23193.26
चतुर्थ तल	23204.71
पंचम तल	23193.26
छटवां तल	23204.71
सातवां तल	23193.26
आठवां तल	23204.71
नौवा तल	23193.26
दसवां तल	23204.71
ग्यारहवां तल	23193.26
बारवां तल	23204.71
तेरहवां तल	23193.26
चौदहवांतल	23204.71
पन्द्रहवां तल	23193.26
सोलवां तल	23204.71
सत्रहवां तल	23193.26
अट्ठारवां तल	23462.53
उन्नीसवां तल	12414.34
बीसवां तल	5175.86
इक्कीसवां तल	5089.40
बाइसवां तल	4438.18
तैइसवां तल	4351.72
चौबीसवां तल	3700.50
पच्चीसवां तल	3614.04
छब्बीसवां तल	2962.82
सत्ताइसवां तल	2876.36
अट्ठाइसवां तल	2084.96
उन्नतीसवां तल	1999.20
<b>कुल एफ.ए.आर.</b>	<b>500017.74</b>



तहखाना	
तहखाना : प्रथम	115762.49
तहखाना : द्वितीय	114711.07
कुल क्षेत्रफल	<b>230473.56</b>
सेवा क्षेत्रफल	48998.10
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	<b>779489.40</b>

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	68,83,617.64
3.	Group Housing (Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PT-1, PT-2, TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)
6.	Group Housing (Aman)	Sector - 151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592	59,62,273.405
7.	Group Housing (Kosmos)	B-35, 36, 37, 38, 41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44	52,08,441.555
8.	Primary School (Revise)	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)
10.	Group Hosing (Klassic)	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94	5089755.055
11.	Group Housing (Klassic IB & ONGC)	B-45	Residential	19-01-12	88255.377	1906150.317	5001499.678
12.	Group Housing (Knigh Court )	B-5	Residential	19-01-12	70085.67	1976235.987	4931414.008
13.	Group Hosing (Klassic)	B-41A & B-42	Residential	02.03.12	153121.25	2129357.242	4778292.758
14.	Group Hosing Kensington Boulevard & Park	B-12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18	Residential	---	500017.74	2629374.982	4278275.018
नोट-प्रश्नगत योजना (बी - 12, 13, 14, 15, 16, 17 व 18) तक कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर.					<b>2629374.982</b>		

*(Handwritten signature)*

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 34416.43 वर्ग मी०  
प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 500017.74 वर्ग मी०

नाम.....

पद.....

नाम

राजपाल कौशिक  
मुख्य वास्तुविद् नियोजक  
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

Map for proposed Building is as per Bye  
Laws. Submitted for approval please.


Pt. Asst.

Arch.

Architect

## YAMUNA EXPRESSWAY PROJECT

Ref: JIL/GHP/NOIDA/1249  
Date: 22nd March 2017



To,

The Chief Architect & Planner,  
New Okhla Industrial Development Authority,  
Sector - 6,  
Noida (U.P.)

**Subject: Development of Land in Sectors 128/129/131/133 & 134, Noida.**

- Sanctioned building drawings for Residential Clusters B-12/13/14/15/16/17 & 18 Kensington Boulevard and Kensington Park in Sector-131 & 133, Noida.
- Revalidation of the Tower for which occupancy certificate not yet issued.

Sir,

In reference to above it is to inform that the Building Drawings for above Residential Cluster B-12/13/14/15/16/17&18 was sanctioned vide your letter no. नौएडा/मु0वा0नि0/III-262/524 dated 26/03/2012 and the same is valid upto 25/03/2017.

It is now submitted that the work for the multistoried tower in this cluster is still in progress, since the validity of the Building Plan is expiring on 25-03-2017 and by that time we will not be in a position to get the Occupancy Certificate of the Cluster. It is requested to please revalidate the sanction of Building Drawings issued vide letter no. नौएडा/मु0वा0नि0/III-262/524 dated 26/03/2012 for a further period of five years. We have already deposited the amount due for revalidation vide our challan no. 670104 dated 19-09-2016 amounting to Rs. 18,96,569/- (Combined Revalidation fee for Residential Clusters B-5, B-12 to B-18, B-45). You are requested to revalidate the building drawings of the above cluster as stated above.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Jaypee Infratech Ltd.

(Authorized Signatory)